

प्रेपक,

श्री एस. आर. लाखा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लग्नानक: दिनांक- 15 नवम्बर, 2001

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय : सभी निर्माण कार्यों के टेण्डर की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश संख्या-4082/31-2001-239/2001, दिनांक 12 नवम्बर 2001 (छाया प्रति संलग्न) के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार विभागीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्यों के टेण्डर जारी करने, खोलने एवं अनुमोदित करने तथा कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा दिनांक 20.12.2001 तक पूर्ण कर शासन को अवगत करने का काष्ट करो।

भवदीय,

एस. आर. लाखा
सचिव।

संख्या- MS 169/69-1-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निरेशक, सूडा को इस आशय से प्रेरित कि परियोजना अधिकारियों की मासिक बैठक में मुख्य सचिव की अपेक्षानुसार सूचना एकत्र कर दिनांक 20.12.2001 तक शासन को उपलब्ध करायें तथा दि 0 22.12.2001 को 3.30 बजे मेरे कार्यालय कक्ष में इसकी समीक्षा की जायेगी।
- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उनके पत्र संख्या-4082/31-2001-239/2001, दिनांक 12 नवम्बर, 2001 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

एस. आर. लाखा
सचिव।

प्रक.

श्री अजय प्रकाश वर्मा,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

लखनऊः दिनांक- 12 नवम्बर, 2001

विषय : सभी निर्माण कार्यों के टेण्डर की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सारिणी का प्रेषण।
महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने में कुछ ही माह अवशेष रह गये हैं। यह आवश्यक है कि शेष अवधि में सभी विभाग निर्माण कार्यों को नियोजित एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये। शासन स्तर पर लगभग सभी कार्यक्रमों तथा कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों निर्धारित की जा चुकी हैं। अब यह आवश्यक है कि फॉलोड स्तर पर निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ कर दिया जाये। इसके लिये यह निर्णय लिया गया है कि सुसंगत विभागीय एवं वित्तीय नियतों का पालन करते हुए निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्योंके टेण्डर जारी करने, खोलने एवं अनुमोदित करने तथा कार्यदेश जारी करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिनांक 20-12-2001 तक पूर्ण कर ली जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में यथोचित आदेश हर स्तर के अधिकारियों को निर्धारित कर उपरोक्त समय सीमा का अनुपालन प्रयत्न दशा में सुनिश्चित करायें। उक्त समय सारिणी से किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा तथा इसके उल्लंघन के प्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी विभागों में कार्यदेश जारी करने का अनुब्रवण गम्भीरता पूर्वक किया जाये ताकि शासन की अपेक्षानुसार सभी कार्यदेश समयान्तर्गत अवश्य जारी हो जायें।

सभी प्रमुख सचिव/सचिव इस आशय का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के समस्त निर्माण कार्यों के कार्यदेश 20-12-2001 तक जारी कर दिये गये हैं।

भवदीय,

अजय प्रकाश वर्मा

मुख्य सचिव।

संख्या- 4082(1)/31-2001-239/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
के. के. मेहरोत्रा
विशेष सचिव।